पत्र संख्या : 7ब/4702 यो०ज०सं०–01/17 294
झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

डी० के० तिवारी,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 15-03-18

विषय :– मॉग संख्या–50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन कार्य, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य, विपत्र कोड 50S470200796200545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
1.	50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 20 – पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन कार्य,	05–निर्माण, 45–निर्माण काय, विपत्र कोड 50S470200796200545	**-63.10**

आवंटित राशि – ऋणात्मक ₹ तिरेसठ लाख दस हजार मात्र।

---

2. आवंटित राशि वर्ष **2017–18** के संशोधित बजट उपबंध **रू० 7800.00 लाख (अठहत्तर करोड़) मात्र** के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 एवं 1363 दि० 09.05.2016 के आलोक में होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।

5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि०)	(रमेश कुमार दूबे) विशेष सचिव	(आर०एस० तिग्गा) अभियंता प्रमुख

8. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

9. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश / वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल / सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 20 मार्च 2018 तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No** तथा **Revoke No/Surrendr No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(**डी०के० तिवारी**)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 294 रॉची, दिनांक :– 15-03-18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड पो०– **हिनू, रॉची / कोषागार पदाधिकारी, रॉंची / डोरण्डा / चाईबासा / प०सिंहभूम / पाकुड / जामताड़ा** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(**डी०के० तिवारी**)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 294 रॉंची, दिनांक :– 15-03-18

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव योजना–सह–वित्त विभाग / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित उपायुक्त / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता (मो०) रॉची / अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग / संयुक्त सचिव (अभि०) / उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग / प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में / सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग / अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची / वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि०)	(रमेश कुमार दूबे) विशेष सचिव	(आर०एस० तिग्गा) अभियंता प्रमुख	**(डी०के० तिवारी)** **अपर मुख्य सचिव**

पत्रांक – 294 /राँची, दिनांक – 15-03-18 परिशिष्ट – 1

मॉग संख्या-50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष – 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
लघु शीर्ष –796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उपशीर्ष – 20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य, विपत्र कोड–50S470200796200545
संशोधित बजट उपबंध (वर्ष 2017–18) रू० 7800.00 लाख (अठहत्तर करोड़) मात्र। (राशि लाख ₹ में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति का राशि	मार्च 2017 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटन पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटित राशि	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा (SGHMIR002)	प0सिंहभूम	सदर	शारदाबासा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0	04/21.04.17	11.35000	0.000	450.00	-250.00	200.00	71498	
2		प0सिंहभूम	खूंटपानी	पुरनिया मानकी बांध मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		65.51000	0.000					
3		प0सिंहभूम	मंझारी	दोक्कटा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		86.94900	0.000					
4		प0सिंहभूम	हाटगम्हरिया	जामडीह मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		37.11200	0.000					
5		प0सिंहभूम	गोईलकेरा	झिलुरूवा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		53.89100	0.000					
6		प0सिंहभूम	सोनुवा	हदिमारा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		69.10600	0.000					
7		प0सिंहभूम	चक्रधरपुर	जेनाबेडा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		66.24300	0.000					
8		प0सिंहभूम	झींकपानी	चिडीयापहाड़ी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		44.57500	0.000					
9		प0सिंहभूम	टोन्टो	दुरिता मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		58.25100	0.000					
10		प0सिंहभूम	जगन्नाथपुर	राजाबांध मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		61.11000	0.000					
11		प0सिंहभूम	नोवामुंडी	साहेबबांध मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		24.82300	0.000					
12		प0सिंहभूम	तांतनगर	हरिपि मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		39.39300	0.000					
13		प0सिंहभूम	आंनदपुर	तेतुलडीह मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		77.14500	0.000					
					योग	**695.458**	**0.000**	**450.00**	**-250.00**	**200.00**		
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़ (PKRMIR001)	पाकुड़	महेशपुर	तेलिया पोखर मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0	04/21.04.17	67.640	0.000	350.00	70.00	420.00	105385	
2		पाकुड़	अमरापाड़ा	पाडेरकोला–1 मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		39.810	0.000					
3		पाकुड़	हिरणपुर	पोखरिया मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		35.802	0.000					
4		पाकुड़	हिरणपुर	सिहुलीडांगा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		51.712	0.000					
5		पाकुड़	पाकुड़	छोटा मोहलन मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		51.831	0.000					
6		पाकुड़	पाकुड़	खुटमारा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		47.223	0.000					
7		पाकुड़	लिट्टीपाड़ा	दराज मठ मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		49.828	0.000					
8		पाकुड़	पाकुड़िया	बीच पहाड़ी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो0		57.849	0.000					
9		पाकुड़	पाकुड़िया	टेकलाल बांध म0सिं0 योजना का जीर्णो0		54.739	0.000					
					योग	**456.434**	**0.000**	**350.00**	**70.00**	**420.00**		

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(रमेश कुमार दूबे) 15/03/18
विशेष सचिव

(आर०एस० तिग्गा)
अभियंता प्रमुख

(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2017 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा (JMTMIR022)	जामताड़ा	जामताड़ा	दुलाडीह म०सिं०यो० का जीर्णो०	04/21.04.17	51.20500	0.000	300.00	116.90	416.90	105387	
2		जामताड़ा	जामताड़ा	पिपला म०सिं०यो० का जीर्णो०		61.02600	0.000					
3		जामताड़ा	करमाटांड	करूआ म०सिं०यो० का जीर्णो०		63.26800	.0.000					
4		जामताड़ा	नारायणपुर	मोहनपुरा म०सिं०यो० का जीर्णो०		55.24500	0.000					
5		जामताड़ा	फतेहपुर	मुरलीडीह म०सिं०यो० का जीर्णो०		95.65000	0.000					
6		जामताड़ा	कुण्डीहत	शंकरपुर म०सिं०यो० का जीर्णो०		64.84000	0.000					
7		जामताड़ा	नाला	चकनयापाड़ा म०सिं०यो० का जीर्णो०		70.21000	0.000					
					योग	**461.444**	**0.000**	**300.00**	**116.90**	**416.90**		
							कुल योग	**1100.00**	**-63.10**	**1036.90**		

आवंटित राशि –ऋणात्मक ₹ तिरेसठ लाख दस हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(आर०एस० तिग्गा)
अभियंता प्रमुख

(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

294
15-03-18